संख्या– 718 / XXIV(1) / 2004

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह ,
उप सचिव ,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

कुल सचिव / वित्त अधिकारी,
कुमायूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनॉक 26 दिसम्बर, 2004

विषयः– विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं के भण्डारण हेतु प्रशासनिक भवन के निकट एक टीन शैड के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रॉकःभवन / 269 / 2004 दिनॉक 12–10–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं के भण्डारण हेतु प्रशासनिक भवन के निकट एक टीन शैड के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की अल्मोडा इकाई द्वारा गठित आगणन रु0 6.33 लाख के सापेक्ष रु0 4.74 लाख के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 में सम्पूर्ण धनराशि रु0 4.74 लाख (रुपये चार लाख चवत्तर हजार मात्र) व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान करते हैं :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।निर्माण कार्य के आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा एवं किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भ वेत्ता के साथ अवश्य करा लें, निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2--उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार,नैनीताल से जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त किया जायेगा । तत्पश्चात् नियमानुसार धनराशि निमार्ण एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

3--अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय--समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4-- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004--2005 के आय--व्ययक की अनुदान संख्या--11 के अधीन लेखा शीर्षक--2202 सामान्य शिक्षा--आयोजनागत 03--विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा --102-- विश्वविद्यालयों को सहायता--03 कुमायूं विश्वविद्यालय--00--20--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा ।

5-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या--1044 /वित्त अनु--1 दिनॉक 09 दिसम्बर ,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-- 718 (1)XXIV(I)/2004--तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1)महालेखाकार, उत्तरॉचल देहरादून ।
(2)कोषाधिकारी, नैनीताल ।
(3)जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ।
(4)निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल।
(5)निजी सचिव,मा0मुख्यमन्त्री।
(6)प्रबन्धक,उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम,इकाई --अल्मोडा।
(7) वित्त अनु--1,/नियोजन अनुभाग,उत्तरॉचल शासन ।
(8)गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव ।